

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)



शिवकुमार त्रिपाठी तनय श्री बच्चा लाल त्रिपाठी उम्र 60 वर्ष

निवासी भठिया थाना बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०

-----निगराकार

विरुद्ध

क
45473

सतना म०प्र० विरुद्ध निगराकार पंच ग्राम पंचायत भठवा जनपद पंचायत मझगवां जिला

सतना म०प्र०

2. जुगुल किशोर त्रिपाठी तनय रामलखन त्रिपाठी निवासी भठिया

थाना बरौंधा तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०-रेस्पा.गण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.का.मा.

विरुद्ध अपर कलेक्टर सतना म०प्र०

के निगरानी प्रकरण क्र.- 393/10-11

आदेश दिनांक 10.09.2012

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

341

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/1297 II/13, स्तना

शिवकुमार सरपंच ग्राम पंचायत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>पी. डे. तिवारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>स्तना</u> के प्रकरण क्रमांक <u>नि.ग. 393/10-11</u> में पारित आदेश दिनांक <u>10/09/12</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य</p>